कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 01.12.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–15 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

03 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना को0 नगर पुलिस ने 02 एवं थाना खोड़ारे पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 01.12.2022

जनपदीय पुलिस ने की अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही, 05 अभियुक्त गिरफ्तार, 70 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामदः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना इटियाथोक पुलिस ने थाना क्षेत्र मे दबिश देकर अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण कर रहे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे 20 लीटर कच्ची शराब बरामद, थाना मनकापुर पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद, थाना कौड़िया पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना धानेपुर पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद व थाना खरगूपुर पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरूद्ध संबंधित थानों द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 01.12.2022

थाना मनकापुर पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अवैध शस्त्र/कारतूस रखने वाले एवं इनका क्रय–विक्रय करने वालो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे ।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त अखिलेश उपाध्याय को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मनकापुर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अखिलेश उपाध्याय पुत्र दिनेश उपाध्याय नि0 बन्दरहा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 530/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. उ0नि0 विजय प्रकाश मय टीम ।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 01.12.2022

रौब जमाने के लिए सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे का प्रदर्शन करने वाला अभियुक्त तमंचा सहित गिरफ्तारः–

सोशल मीडिया पर थाना कौडिया क्षेत्र के अन्तर्गत एक व्यक्ति का अवैध तमंचे का प्रदर्शन करने का फोटो वायरल हुआ था। जिसमें वह व्यक्ति रौब जमाने के लिए असलहा का प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा था। इस फोटो के वायरल होने पर मामले का संज्ञान पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा लेते हुए तत्काल थानाध्यक्ष कौडिया को कार्यवाही कर अभियुक्त की अतिशीघ्र गिरफ्तारी करने व उस अवैध तमंचे को बरामद करने के लिये कड़े निर्देश दिये थे।
उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौडिया पुलिस ने अवैध तमंचे का प्रदर्शन करने वाले अभियुक्त राहुल मिश्रा उर्फ अभिषेक मिश्रा को मुखबिर खास की सूचना पर ननके धोबी का बाग, बहद ग्राम भैरमपुर से गिरफ्तार कर उसकी निषानदेही से 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. राहुल मिश्रा उर्फ अभिषेक मिश्रा पुत्र संजय मिश्रा नि0 भैरमपुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0– 309/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–
उ0नि0 मानेन्द्र सिंह मय टीम।